

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास नियमावली, 1952

अधिसूचना सं० 9594-डी 24 नवम्बर, 1942-बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 बिहार अधिनियम 1, 1951) की धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, निम्न नियमावली बनाते हैं, जिसका प्रकाशन पहले किया जा चुका है।

1. संक्षिप्त नाम-यह नियमावली बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास नियमावली, 1952, dgyk;sxhA

2. यह नियमावली उस तारीख, को लागू होगी जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा fu;r djsxhA

3. इस नियमावली में-

(क) “अधिनियम” से तात्पर्य है बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास नियमावली, 1950;

(ख) “धारा” से तात्पर्य है अधिनियम की धारा;

(ग) “हस्ताक्षर” के अन्तर्गत, अपढ़ व्यक्तियों की दशा में, अँगूठे का निशान भी IfEefyr gS; ijUrq v; xwBs dk fu'kku lk{kj O;fä }kjk lE;d :i ls अभिप्रमाणित किया हुआ होना चाहिए;

(घ) “फारम” से तात्पर्य है इस नियमावली से संलग्न फारम;

(ङ) “बोर्ड” से तात्पर्य है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रेलिजियस ट्रस्ट्स);

(च) “अध्यक्ष” से तात्पर्य है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रेलिजियस ट्रस्ट्स) का अध्यक्ष;

(छ) “निर्वाची पदाधिकारी” के अन्तर्गत कोई अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित है जिसे निर्वाची पदाधिकारी ने, लिखित रूप में, इस नियमावली के अधीन अपने कोई या सभी कृत्य सौंप दिये हों।

4. (1) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन डाक द्वारा मतदान से और एकल संक्रमणीय मत के जरिये होगा।

(2) (क) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावली देवनागरी लिपि, हिन्दी में धारा 34 के अधीन संधारित, न्यासों dh iath ds vk/kkj ij v/{k }kjk rS;kj dh tk;sxhA

(ख) खंड (क) के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली में निम्न विवरण होंगे:-

(i) हरेक निर्वाचक का नाम;

- (ii) हरेक निर्वाचक का डाक पता;
- (iii) हरेक निर्वाचक के पिता या आध्यात्मिक गुरु का नाम;
- (iv) हरेक न्यासों का नाम जिनका निर्वाचक न्यासी हो।

(ग) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावली देवनागरी लिपि, हिन्दी में, राज्य विधान-मंडल के हिन्दू सदस्यों और इस राज्य से लोका-सभा के लिए निर्वाचित हिन्दू सदस्यों के नाम और पते सम्बद्ध सचिवों से

(घ) निर्वाचक नामावली, बोर्ड के कार्यालय के किसी सुगोचर स्थान में लटका दी जाएगी।

(ङ) निर्वाचक नामावली में हुई किसी भूल के सम्बन्ध में कोई आपत्ति, नामावली के इस प्रकार लटकाये जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर लिखित रूप में, अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की जा सकेंगी और यदि इस अवधि के भीतर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की जाए तो निर्वाचक नामावली अन्तिम मानी जायेगी। इस अवधि के बाद दाखिल की गई आपत्ति रद्द कर

(च) खंड (ङ) के अधीन दाखिल की गई आपत्ति पर, यदि कोई हो, अध्यक्ष संक्षिप्त जांच कर अपना निर्णय अभिलिखित करेगा, जो अन्तिम होगा। निर्वाचक नामावली, यदि आवश्यक हुआ तो, अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार, संशोधित कर दी जाएगी और उसके बाद नामावली

(छ) अध्यक्ष, अन्तिम निर्वाचक नामावली की कम से कम दो प्रतियां, यथाशीघ्र, निर्वाची पदाधिकारी के पास भेज देगा।

5. इस नियमावली के खंड 4 (1) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्न

(क) इस खंड के अधीन निर्वाचन संचालित करने के प्रयोजनार्थ पटना प्रमंडल का आयु, निर्वाची पदाधिकारी होगा।

(ख) निर्वाची पदाधिकारी निम्न नियत करेगा:-

(i) मनोनयन के लिये अन्तिम तारीख, जो निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में, 10 दिनों के बाद और सात दिनों से पहले की न होगी;

(ii) मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख, जो मनोनयन की अन्तिम तारीख से पांच दिनों के बाद की न होगी;

(iii) उम्मीदवारी की वापसी के लिये अन्तिम तारीख, जो मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख के बाद तीसरे दिन होगी;

(iv) वह तारीख या तारीखें जब, यदि आवश्यक हो; मतदान लिया जायेगा, और जो या जिनमें से प्रथम वह तारीख होगी जो उम्मीदवारी की वापसी की अन्तिम तारीख से 30 दिनों के पहले की न होगी; और

(v) मतगणना के लिये कोई दूसरी तारीख, जो मतदान लिये जाने की तारीख या मतदान की अन्तिम तारीख से सात दिनों से बाद की नहीं होगी:

परन्तु, यदि किन्हीं कारणों से इस प्रकार नियत तारीख पर मतगणना पूर्ण न हो तो अनुवर्ती तारीख या तारीखों को मतगणना जारी रहेगी, जब तक वह पूर्ण न हो जाय।

(ग) खंड (ख) के अधीन नियत तारीख निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में, बोर्ड-कार्यालय में और बिहार में मुद्रित व प्रकाशित होने वाले कम से कम एक हिन्दी और एक अंग्रेजी दैनिक के अंक में प्रकाशित होगी।

(घ) (i) मनोनयन के लिये खंड (ख) (प) के अधीन नियत तारीख को या उसके पहले प्रत्येक उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, पूर्वाह्न 11 बजे से 3 बजे तक में पूर्ण मनोनयन पत्र मनोनयन की स्वीकृति में

स्वयं हस्ताक्षर कर और खंड (i) में निर्दिष्ट प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित, निर्वाची पदाधिकारी के पास उसके कार्यालय में भेजे देगा।

(ii) कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निबंधित हो मनोनयन पत्र पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर कर सकेगा।

(iii) हरेक मनोनयन पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित यह लिखित घोषणा संलग्न रहेगी कि वह निर्वाचित होने पर बोर्ड की सेवा करने को तत्पर है और वह हिन्दू है और कोई भी उम्मीदवार उस समय तक उचित रूप से मनोनीत नहीं समझा जायगा; जब तक उसके मनोनयन पत्र के साथ ऐसी घोषणा संलग्न न हो।

(iv) उम्मीदवारों के मनोनयन के लिये नियत तारीख को अपराह्न में तीन बजे के बाद प्राप्त होने वाला मनोनयन पत्र रद्द कर दिया जायगा।

(v) खंड (घ) (i) के अधीन मनोनयन पत्र की प्राप्ति पर, निर्वाची पदाधिकारी, इसे भेजने वाले व्यक्ति को मनोनयन के परिनिरीक्षण के लिए नियत तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा और उसके बाद यथाशीघ्र अपने कार्यालय के किसी सुगोचर स्थान में उम्मीदवार और उन व्यक्तियों के, जिन्होंने मनोनयन पत्र पर प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किया हो, मनोनयन

- (vi) कोई उम्मीदवार निर्वाची पदाधिकारी को अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित सूचना देकर उम्मीदवारी की वापसी के लिये नियत तारीख को अपराह्न में तीन बजे के पूर्व अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेगा। किसी उम्मीदवार को, जिसने अपनी उम्मीदवारी इस प्रकार वापस ले ली हो, इसे रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किये जाने की अनुमति नहीं है।
- (vii) निर्वाची पदाधिकारी, खंड (घ) (iv) के अधीन वापसी की सूचना की प्राप्ति के बाद किसी सुगोचर स्थान पर चिपकवा देगा।
- (viii) मनोनयनों के परिनिरीक्षण के लिये निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियत समय और स्थान पर उम्मीदवार, हरेक उम्मीदवार के एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक को छोड़ कर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेगा और निर्वाची पदाधिकारी, सभी उम्मीदवारों के मनोनयन पत्र, जो नियत समय के भीतर और इस नियमावली में विनिहित रीति से दिये गये हों, की जांच के बाद उसके बाद निर्वाची पदाधिकारी मनोनयन पत्रों की जांच करेगा और किसी मनोनयन पत्र पर की गई सभी आपत्तियों पर अपना निर्णय देगा और ऐसी आपत्ति पर या स्वतः ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, किसी मनोनयन पत्र को अस्वीकार कर सकेगा जिससे इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन होता हो। निर्वाची पदाधिकारी हरेक मनोनयन पत्र पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए अपना निर्णय पृष्ठांकित करेगा और ऐसा निर्णय अन्तिम होगा।
- (ix) मनोनयन पत्रों के परिनिरीक्षण के पूर्ण होने पर और उस अन्तिम तारीख की समाप्ति के बाद जिसके भीतर उम्मीदवारी वापस ली जा सकती हो, निर्वाची पदाधिकारी अविलम्ब उचित रूप से मनोनीत उम्मीदवारों की सूची, हिन्दी-भाषा देवनागरी लिपि में वर्णानुक्रम से तैयार करेगा और उसे अपने कार्यालय में किसी सुगोचर स्थान पर चिपकवा देगा।
- (x) यदि मान्य रूप से मनोनीत उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, केवल उतने ही हों जितने धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले हों तो वे निर्वाचित घोषित कर दिये जायेंगे।

- (Üxi) यदि मान्य रूप से मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो तो मतदान लिया जायगा।
- (ड) मतदान के लिये नियत तारीख के कम-से-कम पन्द्रह दिन पूर्व निर्वाची पदाधिकारी gj fuokZpd ds ikl çl= IV में एक-एक मत-पत्र निबंधित डाक से भेज देगा।
- (च) (i) अपना मत अभिलिखित करने के बाद निर्वाचक, मत-पत्र को निबन्धित डाक द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के पास इस प्रकार भेजेगा कि मतदान के लिये नियत तारीख को अपराह्न पांच बजे के पूर्व वह उसके पास पहुंच जाए। उस समय के बाद feyus okyk 'kykdk&i= jí dj fn;k tk;xk;
- परन्तु निर्वाचक, स्वेच्छा से मत-पत्र डाक से न भेज कर स्वयं भी उक्त समय तक निर्वाची पदाधिकारी को दे सकेगा।
- (ii) कोई भी निर्वाचन, इस कारण से अमान्य नहीं होगा कि इस नियमावली के अधीन यथावत् रूप से किसी निर्वाचक को भेजा गया मत-पत्र उसे नहीं feyk gSA
- (छ) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा या उसकी देख-रेख में मतगणना की जायेगी और हरेक उम्मीदवार या उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके एक प्रतिनिधि को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा।
- (ज) (i) सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार (एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार गिना गया) सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित होगा।
- (ii) जब किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मत साम्य हो और एक मत से ही उम्मीदवारों में से कोई निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाता हो तो bl ckr dk fu'p;| fd ,slk vfrfjå er fdls fn;k x;k le>k tk;| निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में लाटरी से और उसके द्वारा निश्चित रीति ls fd;k tk;xkA
- (iii) निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होते ही निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास, बिहार गजट में प्रकाशनार्थ, भेज देगा।
- (झ) पूर्ववर्ती नियम के अधीन निर्वाचित घोषित किसी उम्मीदवार के विरुद्ध निर्वाचन-याचिका, निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष किसी उम्मीदवार या निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद दी गई याचिका अस्वीकार कर दी tk;sxhA

- (ग) यदि खंड (झ) के अधीन याचिका अस्वीकार न की गई हो तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकारी याचिका के सम्बन्ध में जांच करेगा।
- (घ) निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचन शून्य माना जायगा यदि निर्वाचन भ्रष्टाचार या प्रलोभन देकर किया गया हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर भ्रष्टाचार द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर किसी मनोनयन की अनुचित प्रभावशाली प्रतिक्रिया किसी मत, जो शून्य हो, की प्राप्ति द्वारा अथवा अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के उल्लंघन द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो।
- (ङ) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ “भ्रष्टाचार” का वही अर्थ है जो इसका राज्य-विधान द्वारा दिया गया है।
- (ड) खंड (अ) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी निर्वाचन याचिका का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

[धारा 13 (3)]

6. (1) बोर्ड या किसी समिति के सदस्य, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के अध्यक्ष या नियमित संकल्प द्वारा उन्हें सौंपे गये विशेष कर्तव्यों के पालन करने के लिये यात्रा कर सकते हैं।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हों या नियोजित, यात्रा या अन्य भत्तों के प्रयोजनार्थ, बिहार और उड़ीसा सेवा संहिता के प्रसंगोचित उपबन्धों के अर्थ में क्रमशः प्रथम व द्वितीय कांटे के पदाधिकारी समझे जायेंगे।

(3) अध्यक्ष और सदस्य, यदि वे बैठक के समय मुख्यालय में ही हों और बाहर से न आये हों तो, यात्रा भत्ता के हकदार न होकर केवल हरेक बैठक के लिये क्रमशः तीन और दो रुपये सवारी भत्ता लेने के हकदार होंगे।

[धारा 28 (2) (क)]

7. अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिलेख फारम 1 में निरूपित रीति से तैयार किये और रखे जायेंगे।

8. धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (द) में निर्दिष्ट खर्च भू-राजस्व के बकाये के रूप में बोर्ड द्वारा वसूलने योग्य होंगे। ऐसे बकाये की वसूली का मांग-पत्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी होगा।

[धारा 30 (1)]

9. धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन हरेक सूचना पावती-सहित निबंधित डाक से भेजी जायेगी अथवा पाने वाले की उचित रूप से हस्ताक्षरित लिखित रसीद लेकर हाथों-हाथ दी जायेगी।

ikus okys ds fuokl ds किसी सुगोचर स्थान में, दो साक्षियों की उपस्थिति में, चिपका दी जायेगी।

[धारा 43 (1)]

10. धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन दिया गया कोई आवेदन उचित रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा और उसमें सम्बद्ध सम्पत्ति के इस प्रकार के विवरण अन्तर्विष्ट होंगे जो इसकी पहचान के लिये पर्याप्त हों। ऐसे सत्यापन का फारम वही होगा जो व्यवहार cfØ;k lafgrk esa okn lR;kfir djus ds fy, fofufgr gSA

[धारा 43 (2)]

11. धारा 43 की उप-धारा (2) के अधीन सामान्य सूचना, बिहार राज्य में मुद्रित व प्रकाशित वा इस राज्य में परिचारित अँग्रेजी और हिन्दी समाचार-पत्र के कम-से-कम एक अंक में प्रकाशित होगी। यदि जिला न्यायाधीश वांछनीय समझे तो वह बिहार में परिचारित अन्य समाचार पत्रों में भी उसके प्रकाशन का आदेश दे सकेगा। यह सूचना सम्बद्ध जिला न्यायाधीश ds lwpuk iê ij Hkh çdkf'kr dh tk;sxhA

[धारा 44 (1)]

12. धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन अन्तरण की सूचना फारम 2 में होगी।

[धारा 59 (1) (2)]

13. धारा 59 की उप-धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण फारम 1 में दिये जायेंगे और उसमें दिये जाने वाले विवरण वही होंगे जो इस फारम के हर स्तम्भ में दिखाये गये हों।

[धारा 65 (1)]

14. वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा 65 की उप-धारा (1) के अधीन न्यासी अपील करेगा, उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा जिसमें सम्बद्ध धार्मिक न्यास की विषय-वस्तु का सम्पूर्ण या कोई भाग अवस्थित हो।

[धारा 70 (2) (क)]

15. धारा 70 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन फीस अध्यक्ष द्वारा परिस्थिति के अनुसार ऐसी रीति से जैसा वह उत्तम समझे निर्धारित होगी;

परन्तु अध्यक्ष कर दाता को, स्वयं या इसके लिये लिखित रूप में उचित रीति से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, अपने मामले का उसके समक्ष अभिवेदन करने का अवसर प्रदान करेगा और इस सम्बन्ध में कर दाता या उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, ij Hkh fopkj djsxkA

[धारा 70 (2) (ख)]

16. कर-निर्धारण के आदेश के विरुद्ध धारा 70 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपील, उस जिले के जिला न्यायाधीश के यहां होगी जिसमें सम्बद्ध धार्मिक न्यास की विषय-वस्तु का सम्पूर्ण या कोई भाग अवस्थित हो।

[धारा 70 (3)]

17. बोर्ड, अध्यक्ष के नाम सरकारी खजाने में लेखा खोलेगा और धारा 70 की उप-धारा (3) के अधीन देय फीस उस लेखे में चालान के जरिए अथवा कोषागार पदाधिकारी के नाम पोस्टल मनीआर्डर द्वारा जमा होगी।

18. इस नियमावली के किसी नियम के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ, धारा, 80 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन बोर्ड के अवक्रमण की अवधि में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जायेंगी जिसे या जिन्हें राज्य सरकार ऐसी अवधि में बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करने के लिये निदेशित करें।

